

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव,

सेवा में,

सभी समाहर्ता, (समस्तीपुर को छोड़कर),
बिहार।

फैक्स /
ई-मेल

पटना-15, दिनांक-.....

विषय :- मुख्य शीर्ष 4047-राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-050-भूमि, समुह शीर्ष-राज्य योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0107-पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय, मांग सं0-40 विपत्र कोड-40-4047000500107, विषय शीर्ष-5302 भू-अर्जन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2017-18 में कुल 92,52,000/- (बिरानवे लाख बावन हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञाप संख्या-769(8)/रा0 दिनांक-06.09.2017 आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि के आलोक में बिहार गृह स्थल योजना अंतर्गत रैयती भूमि क्रय निति 2011 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित जिलो को उनके नाम के सामने अंकित राशि कुल 92,52,000/- (बिरानवे लाख बावन हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

क्र0	जिला	वर्तमान वर्ष में पूर्व में आवंटित राशि	स्वीकृत राशि (रुपये में)	आवंटित राशि (रुपये में)	कुल आवंटित राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	शून्य	1,62,000 /-	1,62,000 /-	1,62,000 /-
2	अरवल	शून्य	90,000 /-	90,000 /-	90,000 /-
3	औरंगाबाद	शून्य	1,98,000 /-	1,98,000 /-	1,98,000 /-
4	कटिहार	शून्य	2,88,000 /-	2,88,000 /-	2,88,000 /-
5	कैमूर	शून्य	1,98,000 /-	1,98,000 /-	1,98,000 /-
6	किशनगंज	शून्य	1,26,000 /-	1,26,000 /-	1,26,000 /-
7	खगड़िया	शून्य	1,26,000 /-	1,26,000 /-	1,26,000 /-
8	गया	शून्य	4,32,000 /-	4,32,000 /-	4,32,000 /-
9	गोपालगंज	शून्य	2,52,000 /-	2,52,000 /-	2,52,000 /-
10	जमुई	शून्य	1,80,000 /-	1,80,000 /-	1,80,000 /-
11	जहानाबाद	शून्य	1,26,000 /-	1,26,000 /-	1,26,000 /-
12	दरभंगा	शून्य	3,24,000 /-	3,24,000 /-	3,24,000 /-
13	नवादा	शून्य	2,52,000 /-	2,52,000 /-	2,52,000 /-
14	नालंदा	शून्य	3,60,000 /-	3,60,000 /-	3,60,000 /-
15	पटना	शून्य	4,14,000 /-	4,14,000 /-	4,14,000 /-
16	पूर्णिया	शून्य	2,52,000 /-	2,52,000 /-	2,52,000 /-
17	पूर्वी चम्पारण	शून्य	4,86,000 /-	4,86,000 /-	4,86,000 /-
18	प0 चम्पारण	शून्य	3,24,000 /-	3,24,000 /-	3,24,000 /-
19	बक्सर	शून्य	1,98,000 /-	1,98,000 /-	1,98,000 /-

कृ०पृ०उ०

20	बेगूसराय	शून्य	3,24,000 /-	3,24,000 /-	3,24,000 /-
21	बौंका	शून्य	1,98,000 /-	1,98,000 /-	1,98,000 /-
22	भागलपुर	शून्य	2,88,000 /-	2,88,000 /-	2,88,000 /-
23	मोजपुर	शून्य	2,52,000 /-	2,52,000 /-	2,52,000 /-
24	मुंगेर	शून्य	1,62,000 /-	1,62,000 /-	1,62,000 /-
25	मुजफ्फरपुर	शून्य	2,88,000 /-	2,88,000 /-	2,88,000 /-
26	मधेपुरा	शून्य	2,34,000 /-	2,34,000 /-	2,34,000 /-
27	मधुबनी	शून्य	3,78,000 /-	3,78,000 /-	3,78,000 /-
28	रोहतास	शून्य	3,42,000 /-	3,42,000 /-	3,42,000 /-
29	लखीसराय	शून्य	1,26,000 /-	1,26,000 /-	1,26,000 /-
30	वैशाली	शून्य	2,88,000 /-	2,88,000 /-	2,88,000 /-
31	शेखपुरा	शून्य	1,08,000 /-	1,08,000 /-	1,08,000 /-
32	शिवहर	शून्य	90,000 /-	90,000 /-	90,000 /-
33	सुपौल	शून्य	1,98,000 /-	1,98,000 /-	1,98,000 /-
34	सहरसा	शून्य	1,80,000 /-	1,80,000 /-	1,80,000 /-
35	सारण	शून्य	3,60,000 /-	3,60,000 /-	3,60,000 /-
36	सीवान	शून्य	3,42,000 /-	3,42,000 /-	3,42,000 /-
37	सीतामढ़ी	शून्य	3,06,000 /-	3,06,000 /-	3,06,000 /-
कुल			92,52,000 /-	92,52,000 /-	92,52,000 /-

(बेरानवे लाख बावन हजार) रुपये मात्र।

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य हेतु ही किया जाएगा।

3. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है।

4. राशि की निकासी के समय विपत्र पर मांग संख्या, इकाई का कोड एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।

5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय साथ ही राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी भेजना सुनिश्चित किया जाय।

6. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के अपर सचिव।

क०प०च०

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, (बजट) बिहार, पटना/ सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा-8/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

दिनांक-.....

प्रतिलिपि-सम्बन्धित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-.....

29-5)

/रा0, पटना-15, दिनांक-

12/9/17

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),

सरकार के अपर सचिव।